<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2772/2025
गोरौल थाना कांड सं0–495/2025
धारा–316(2) B.N.S. Act.

Web Copy not Official

18.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक गौरव कुमार की ओर से गोरौल थाना कांड सं0–495/2025 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद कि प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक मुकेश कुमार द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष गोरौल को इस आशय का दिया गया कि "वह अभी IIFL Samasta Micro Finance कंपनी मे ब्रांच मेनेजर पद पर कार्यरत है। दिनांक 25.08.2025 को समय 07 बजे संध्या मे कंपनी के सी.आर.ओ. पद पर कार्यरत गौरव कुमार पिता धर्मेन्द्र पांडे जो कि कंपनी के 39720 रूपये जो मिटिंग करके वसूला हुआ रकम था वो लेके फरार हो गए है जब इसकी सूचना गौरव के पिता को दिया गया तब वे कहे कि मेरा बेटा घर पर नही है फोन करने पर उसका फोन बंद आता है।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल नही किया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक द्वारा अपने क्षेत्र का रूपया वसूल कर निश्चित समय पर जमा करता आ रहा है। घटना के दिन सूचक द्वारा आवेदक को दुसरे सी.आर.ओ. के क्षेत्र मे रूपया वसूलने के लिए कहा गया तब आवेदक द्वारा कहा गया कि वह उसके अधिकार मे नही है तथा आज डियूटी का समय भी समाप्त हो गया है इसपर सूचक गुस्सा हो गया तथा मजा चखाने की बात कहा और फिर प्रस्तुत कांड हेतु थाना पर झुठा आवेदन दिया गया। आवेदक निर्दोश है। आगे विद्वान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2772/2025

लगातार
18.04.2026

अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

Web copy not Official

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के उपर वसूला हुआ रकम लेकर फरार होने का आरोप लगाया गया है परंतु इसके संबंध मे कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य कांड दैनिकी मे प्रस्तुत नही है। सूचक को विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय से ही मोबाईल से फोन करके अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया था परंतु सूचक न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ और आज भी विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय कक्ष से ही फोन किये जाने पर उसने आने मे अनिच्छा जताई। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक का अग्रिम जमानत स्वीकृत किया जाता है।

फलस्वरूव आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करे तथा 10,000/– (दस हजार रूपये) के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

–Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	18-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	18-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar